संख्याः-18/2023/156/अडतीस-9-23/500(39)/2023टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2023**

विषयः विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन के संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के भिन्न-भिन्न पत्रों, संख्या-जी0ओ0-80/कार्य0/वि0नि0/2022-23 दिनांक-18.07.2022, संख्या-1141/वि0नि0/कार्य0अनु0/2022-23 दिनांक-12.10.2022, संख्या-1224/वि0नि0/कार्य0अनु0/2022-23 दिनांक-04.11.2022, संख्या-जी0ओ0-209/कार्यअनु0/वि0नि0/2022-23 दिनांक-26.12.2022,संख्या-जी0ओ0-15/कार्य0अनु0/वि0नि0/2022-23 दिनांक-20.01.2023 एवं संख्या-726/वि0नि0/कार्य0अनु0/2023-24(66) दिनांक-02.06.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-28/2017/320/38-9-2017-05(रिट)/2014 दिनांक-04.07.2017 के प्रस्तर-2 [मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-2.1, 4.1 एवं परिशिष्ट-2 के बिन्दु संख्या-8(क)] तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या-23 व 24 एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-3.2 में निम्नांकित **''तालिका-I''** के अनुसार स्तम्भ-1 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संशोधन सहित नवीन प्रस्तर-4.7 का प्रतिस्थापन किये जाने तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची (परिशिष्ट-1) में अन्य विविध कार्यों को ''**तालिका-II**'' के अनुसार सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) ''**तालिका-I'' (मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन/प्रतिस्थापन)**

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान व्यवस्था	**एतदद्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था**
(क)मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-2.1	**(क)मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-2.1**
विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत सेंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में संविधान के पार्ट IX व IXA के अनुरूप वरीयता प्रदान की जानी चाहिये।	विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/ निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत सेंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में संविधान के पार्ट IX व IXA के अनुरूप वरीयता प्रदान की जानी चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी, परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को, जिन्होंने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं किया है, पुनः सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य समस्त बहुराज्यीय (Multistate) सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों (NGO's)/ सहकारी संघों/सहकारी समितियों/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।	जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी, परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को, जिन्होंने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं किया है, पुनः सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य समस्त बहुराज्यीय (Multistate) सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों (NGO's)/ सहकारी संघों/सहकारी समितियों/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा। **परन्तु विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण कार्य, जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के हों, प्रधानाचार्य / प्रबन्धक के माध्यम से भी कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जायेगा कि चुने हुए प्रतिनिधि एवं उनके परिवारीजन का कराये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में कोई हितों का टकराव न हो।**
(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-4.1 विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा	**(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-4.1** विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा एक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एक वित्तीय वर्ष में रू0 1.50 करोड़ (वर्तमान में शासनादेश सं0-09/2020/127/38-9-20-500(39)/2013टी0सी0-1 दिनांक-18.04.2020 के द्वारा रू0 03.00 करोड़, जी0एस0टी0 सहित) के कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो।	वित्तीय वर्ष में रू0 5.00 करोड़, जी0एस0टी0 सहित के कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो, **परन्तु रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकते हैं।**
किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुये, उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नहीं की जायेगी। किसी भी संस्था/इकाई को रू0 25.00 लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जा सकेंगे।	किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुये, उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नहीं की जायेगी। किसी भी संस्था/इकाई को रू0 25.00 लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जा सकेंगे, **परन्तु रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकते हैं।** **परन्तु विधान मण्डल के एक से अधिक मा0 सदस्य द्वारा (मा0 सदस्य विधान सभा के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु उसी जनपद की सीमा के अन्तर्गत तथा मा0 सदस्य विधान परिषद के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी जनपद के अन्तर्गत) किसी**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	परियोजना का चयन संयुक्त रूप से किया जा सकता है तथा प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने की संस्तुति की जा सकती है। ऐसी परियोजना के मामले में एक कार्य के लिए अधिकतम धनराशि दिये जाने की निर्धारित सीमा शिथिल मानी जायेगी। **इस संदर्भ में ऐसी परियोजना को ही संयुक्त रूप से चयन किया जाये, जिस परियोजना से मा0 सदस्यों के सम्बन्धित विधान मण्डल क्षेत्रों को संयुक्त रूप से लाभ मिलता हो।**
(ग) <u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का परिशिष्ट-2 का बिन्दु संख्या-8(क)</u> विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट का पदाधिकारी है। किसी भी संस्था को रू0 25.00 लाख की धनराशि से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना में रू0 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिये अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।	(ग)<u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का परिशिष्ट-2 का बिन्दु संख्या-8(क)</u> विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट का पदाधिकारी है। किसी भी संस्था को रू0 25.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना में रू0 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिए अनुशंसा नहीं की जा सकेगी। **परन्तु किसी भी संस्था को रू0 25.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

	लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य का प्रस्ताव तथा धनराशि का आवंटन अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है। परन्तु विधान मण्डल के एक से अधिक मा0 सदस्य द्वारा (मा0 सदस्य विधान सभा के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु उसी जनपद की सीमा के अन्तर्गत तथा मा0 सदस्य विधान परिषद के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी जनपद के अन्तर्गत) किसी परियोजना का चयन संयुक्त रूप से किये जाने की स्थिति में प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने की संस्तुति की जा सकती है। ऐसी परियोजना के मामले में एक कार्य के लिए अधिकतम धनराशि दिये जाने की निर्धारित सीमा शिथिल मानी जायेगी। इस संदर्भ में ऐसी परियोजना को ही संयुक्त रूप से चयन किया जाये, जिस परियोजना से मा0 सदस्यों के सम्बन्धित विधान मण्डल क्षेत्रों को संयुक्त रूप से लाभ मिलता हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ)<u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का परिशिष्ट-1 का बिन्दु संख्या-23</u> प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय। **<u>बिन्दु संख्या-24</u>** राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय।	**(घ)<u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का परिशिष्ट-1 का बिन्दु संख्या-23</u>** प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय। इस हेतु क्रय प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्रय नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा की जाय। **<u>बिन्दु संख्या-24</u>** राजकीय तथा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय। इस हेतु क्रय प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्रय नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा की जाय।
(च) <u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-3.2</u> जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।	**(च) <u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर-3.2</u>** जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। **उक्त स्वीकृति पश्चात कार्य**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	विलम्बतम 03 माह के अन्दर प्रारम्भ करा दिया जाय।
(छ)उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है।	**(छ) <u>मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर संख्या-4.7</u>-** उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्न प्रारूप के अनुसार प्राप्त किया जायेगा:- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना) जनपद- मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र.....में वर्ष.....हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई निधि का उपभोग प्रमाण-पत्र। मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य का नाम:-

क्र0सं0	पत्र संख्या व दिनांक	धनराशि	व्याख्या
			प्रमाणित किया जाता है कि विधायक निधि योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के हाशिये में उल्लिखित पत्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष .....में रूपये..... राज्य सरकार से प्राप्त हुआ। गत वर्ष की अवशेष धनराशि रूपये..... एवं अर्जित ब्याज रूपये..... उपलब्ध धनराशि रूपये..... सम्बन्धित मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				द्वारा अनुशंसित एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत रूपये..... का उपभोग कार्य निष्पादन हेतु कर लिया गया है, तथा अवशेष धनराशि रूपये..... के उपभोग की कार्यवाही की जा रही है।

पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, विधिवत पूरी कर ली गई है और मैंने यह देखने के लिए रिकार्ड की जॉच की है कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसके लिए यह स्वीकृत हुआ था।

नोट-: योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष .....में उपलब्ध धनराशि रू०..... में से अंकन रू0 ..... की धनराशि का उपभोग कार्य निष्पादन हेतु कर लिया गया है, जो.....प्रतिशत है।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
जनपद-

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-

(2) ''<u>तालिका-II</u>'' (<u>विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची (परिशिष्ट-1) में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य विविध कार्य)</u>

क्र0सं0	सम्मिलित किये गये कार्य
1	परिशिष्ट-1 में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची के बिन्दु-1 से आच्छादित विद्यालयों के प्रवेश द्वार एवं प्रवेश स्थल के सौन्दर्यीकरण।
2	उक्त विद्यालयों के प्रांगण में इंटरलॉकिंग, नाली एवं विभिन्न मरम्मत कार्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	उक्त विद्यालयों की स्मार्ट क्लास हेतु आवश्यक उपकरण।
4	उक्त विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा एवं जनरेटर, इन्वर्टर तथा बैटरी की व्यवस्था।
5	उक्त विद्यालयों में पार्क व पुस्तकालय।
6	उक्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हेतु किचन व भोजन स्थल निर्माण एवं मरम्मत कार्य आदि ।
7	उक्त विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, बिजली की फिटिंग, फर्श का निर्माण, शौचालय का निर्माण तथा मरम्मत परिसर के अन्दर फर्श, इण्टरलाकिंग, टाइल्स एवं विभिन्न खेल उपकरणों एवं पानी की टंकी आदि की स्थापना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य।
8	सामुदायिक भवन, पंचायत घर, बारात घर का निर्माण।
9	ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण/पुनर्निर्माण।
10	विभिन्न सार्वजनिक उपयोग की इमारतों का निर्माण/पुनर्निर्माण।
11	विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर 500 वॉट से 10 किलो वॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र तथा जनरेटर की स्थापना।
12	विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण।
13	विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक कार्य की संस्थाओं के परिसर में इलेक्ट्रानिक उपकरण, ए0सी0, कूलर, पंखे, जल शुद्धिकरण संयंत्र, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्यूटर, एल0ई0डी0, टी0वी0 पर व्यय करने की अनुमति।
14	सार्वजनिक एवं पर्यटन महत्व के तालाबों का पुनरूद्धार एवं निर्माण कार्य।
15	सार्वजनिक स्थलों व पर्यटन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं पौध सिचाई संयंत्र की स्थापना।
16	सार्वजनिक स्थलों, नगर पंचायतों, ग्राम सभाओं में पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।
17	सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, अस्पताल, ग्राम सभाओं, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जिम अथवा ओपन जिम की स्थापना।
18	ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में विभिन्न पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, अस्पताल आदि अन्य स्थानों पर इण्टरलाकिंग, टाइल्स अथवा अन्य साधनों द्वारा फर्श का निर्माण।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	विभिन्न सामाजिक सार्वजनिक स्थलों पर पार्कों, तालाबों, नदी, नालों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं ट्री-गार्डों का निर्माण तथा इनके किनारे कटीले तारों का लगाना तथा सिचाईं हेतु स्थायी जल संयंत्रों एवं पाइप लाइन की स्थापना।
20	विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक एवं कृषि कार्यों में सहयोग हेतु स्थायी तथा चलित सोलर संयंत्रों, सोलर सिचाई संयंत्रों की स्थापना।
21	सार्वजनिक उपयोग के लिये विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विभिन्न उपकरणों जैसे-ट्रैक्टर, वाटर टैंकर, जे0सी0बी0, स्वच्छता उपकरण, चलित एवं स्थायी तथा अस्थायी शौचालय, चलित एवं स्थायी पेयजल संयंत्र, कूड़ा ढोने का उपकरण (छोटे चारपहिया वाहन) की खरीद एवं विकास।
22	जल संरक्षण एवं भूजल की वृद्धि हेतु विभिन्न नदी-नालों एवं निचली जमीनों पर चेकडेम का निर्माण एवं विकास।
23	नाला-नाली, ड्रेनों एवं तालाबों की खुदाई व सफाई आदि कार्य।
24	व्यायामशाला, योग केन्द्र, सत्संग भवन आदि कार्यों के निर्माण के लिये विभिन्न सामाजिक संगठनों, ट्रस्टों, ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के माध्यम से विकास एवं नव निर्माण कराना।
25	विभिन्न किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, महिला, युवा एवं किसान समूहों को कृषि उपकरण तथा संवर्धन की व्यवस्था करना।
26	दैवीय आपदा में सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सभी योजनाओं की पूर्ति करना।
27	गोवंश ऐम्बुलेंस का क्रय करना।
28	राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना।

2- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने तथा उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-18/2023/156(1)/अडतीस-9-2023/500(39)/2023टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
12- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
15- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
16- गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।